संख्या-482/2025/235 के-2/22-3-2025-17(391)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार गुप्ता उर्फ गौतम पुत्र श्री सोबरन गुप्ता, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार गुप्ता उर्फ गौतम पुत्र श्री सोबरन गुप्ता, जो कुठौन्द, थाना-कुठौन्द, जनपद-जालौन का निवासी है। अभियुक्त राजकुमार के उर्मिला देवी के साथ अवैध सम्बन्ध थे, जिसके कारण उर्मिला देवी का अपने पति श्री विनोद के साथ झगड़ा होता रहता था। दिनांक 14/15.07.2008 की रात्रि में दोनों ने मिलकर श्री विनोद की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-249/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/कक्ष संख्या-01, कन्नौज के आदेश दिनांक 30.05.2015 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2022 द्वारा निर्णय देते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16.11.2024 तक बंदी की आयु 34 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, उम्र अभी 34 वर्ष होने, अपराध करने में सक्षम होने, अपराध किये जाने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर भविष्य में अपराध कारित किये जाने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्त राजकुमार के उर्मिला देवी के साथ अवैध सम्बन्ध थे, जिसके कारण उर्मिला देवी का अपने पति श्री विनोद के साथ झगड़ा होता रहता था। दिनांक 14/15.07.2008 को दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से गले में वार करके श्री विनोद की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजकुमार गुप्ता उर्फ गौतम पुत्र श्री सोबरन गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार गुप्ता उर्फ गौतम (बंदी संख्या-413/23) पुत्र श्री सोबरन गुप्ता, निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-482 /2025/235 के-2/22-3-2025-17(391)/2025

दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार गुप्ता उर्फ गौतम पुत्र श्री सोबरन गुप्ता, जो कुठौन्द, थाना-कुठौन्द, जनपद-जालौन का निवासी है। अभियुक्त राजकुमार के उर्मिला देवी के साथ अवैध सम्बन्ध थे, जिसके कारण उर्मिला देवी का अपने पति श्री विनोद के साथ झगड़ा होता रहता था। दिनांक 14/15.07.2008 की रात्रि में दोनों ने मिलकर श्री विनोद की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-249/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/कक्ष संख्या-01, कन्नौज के आदेश दिनांक 30.05.2015 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2022 द्वारा निर्णय देते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16.11.2024 तक बंदी की आयु 34 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, उम्र अभी 34 वर्ष होने, अपराध करने में सक्षम होने, अपराध किये जाने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर भविष्य में अपराध कारित किये जाने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्त राजकुमार के उर्मिला देवी के साथ अवैध सम्बन्ध थे, जिसके कारण उर्मिला देवी का अपने पति श्री विनोद के साथ झगड़ा होता रहता था। दिनांक 14/15.07.2008 को दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से गले में वार करके श्री विनोद की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजकुमार गुप्ता उर्फ गौतम पुत्र श्री सोबरन गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in